सं. 35034/3/2008-स्था.(घ)(खंड-।।)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली 110001

दिनांक :५ जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन स्कीम के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 मई, 2009 के का.ज्ञा.सं. 35034/3/2008-स्था(घ) द्वारा जारी की गई संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगतन स्कीम के अनुबंध-। के पैरा 4 का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें प्रावधान है कि नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएगा। इसलिए ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित किए जा रहे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन में 3% की वृद्धि की जाएगी। तथापि, नियमित पदोन्नति होने के समय आगे किसी प्रकार का वेतन नियतन नहीं किया जाएगा यदि इसका ग्रेड वेतन वही है, जो एमएसीपी के अंतर्गत दिया है। तथापि, यदि वास्तविक पदोन्नति के समय एमएसीपी में उपलब्ध ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन हो जाता है, तो किसी प्रकार का नियतन नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा।

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस आशय के संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि नियमित पदोन्नति/गैर-कार्यकारी स्केल दिए जाने के समय क्या कर्मचारी को उसकी पदोन्नति की तिथि से अथवा एमएसीपी दिए जाने के परिणामस्वरूप अगले वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात ग्रेड वेतन के अंतर को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

3. इस विभाग में इस मामले पर व्यय विभाग से परामर्श कर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि एमएसीपी स्कीम के अनुबंध-। के पैरा 4 को निम्न रूप से संशोधित किया जाएगा :-

" नियमित पदोन्नति के समय उपलब्ध वेतन नियतन का लाभ इस स्कीम के वित्तीय उन्नयन के समय भी दिया जाएग। इसलिए ऐसे उन्नयन से पूर्व आहरित किए जा रहे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के कुल वेतन में 3% की वृद्धि की जाएगी। तथापि, यदि वास्तविक पदोन्नति के समय एमएसीपी में उपलब्ध ग्रेड वेतन से अधिक ग्रेड वेतन हो जाता है, तो किसी प्रकार का नियतन नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा।" एमएसीपी के अधीन दिए गए वेतन से ऊंचे ग्रेड वेतन में नियमित पदोन्नति/गैर-कार्यकारी स्केल दिए जाने के समय कर्मचारी के पास यह विकल्प होगा कि वह ऐसी नियमित पदोन्नत/गैर-कार्यकारी वेतनमान या एमएसीपी के अंतर्गत अनुमत्य वेतन में अगली वेतन वृद्धि के प्रोद्भवन की तारीख से ग्रेड वेतन का अंतर आहरित करेगा।

4. एमएसीपी में यह संशोधन व्यय विभाग के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

जी-जयंती

(जी. जयंती)

निदेशक (ई-।)

दूरभाष सं. 23092479

<u>भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग</u>

प्रतिलिपि:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
9. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय ।
11. एनआईसी की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए ।